सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मासिक समाचार पत्र

अंक - 42 नवम्बर, 2014

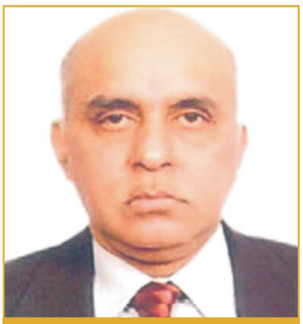

श्री नवेद मसूद,
सचिव का.क.मं.

सचिव की कलम से

भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए हाल में कई नीति उपाय किए गए हैं। घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता सात वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है, रक्षा उत्पादों में वार्षिक क्षमता में ढील दी गई है और सरकारी निकायों को रक्षा मदों की सीधी बिक्री की अनुमति दी गई है। निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए डीजल कीमतों में विनियमन हटाया जाना और विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण जैसे कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं। दि मार्किट ग्लोबल बिजनेस आऊटलुक सर्वे, अक्तूबर, 2014 अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारत में अगले बारह महीनों में उच्च व्यवसाय आशावादिता दर्शाता है।

औद्योगिक उत्पादन में सितंबर, 2014 में 2.5% की वृद्धि, पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में दहाई अंकीय विकास (11.6%) सहित, के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में पुनरूत्थान के संकेत हैं। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में मुद्रास्फिति दर में लगातार कमी आई है और अक्तूबर, 2014 के महीने में यह क्रमश: 1.8% और 5.5% थी। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में जून के मध्य से लगभग 30% की कमी के साथ इन कारकों पर विचार करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक बहुप्रतीक्षित नीति दर कटौतियों पर विचार कर सकता है।

पूंजी बाजार में आशावादिता है। बीएसई सेंसेक्स ने इस महीने 28,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि निफ्टी 8300 के स्तर से ऊपर है। निवेशक उत्साहित है। विदेशी फंडों द्वारा सरकरी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु 25 बिलियन डॉलर की अधिकतम सीमा करीब होने के साथ ही अब विदेशी निवेश भारतीय कारपोरेट बांड में निवेश कर रहा है और यह वर्तमान में लगभग 30 बिलियन डॉलर है। आर्थिक संकेतो में सकारात्मक गति आश्वस्त करने वाला है और भारत तेजी से उच्च विकास पथ की ओर बढ़ रहा है।

लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर मार्गनिर्देशों का नया सेट जारी किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। केन्द्रीय लोक उद्यमों के सामान्य व्यवसाय कार्यकलापों में स्थिरता को उनके कारपोरेट सामाजिक दायित्व देयताओं के साथ-साथ रखने के उनके प्रयास की मैं सराहना करता हूँ। अन्य कंपनियां इन मार्गनिर्देशों की भावना से प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं।

मैं कारपोरेट क्षेत्र और एमसीए21 पोर्टल का प्रशासन करने वाले मंत्रालय के अधिकारियों की सराहना करता हूँ, जिन्होंने वार्षिक विवरणों की निर्बाध फाइलिंग सुनिश्चित की है, जो एक महीने में 15 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मंत्रालय की ओर से मैं यह आश्वासन देता हूँ कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय प्रबुद्ध नियमों के माध्यम से कारपोरेट विकास सुगम करने का लगातार प्रयास करता रहेगा।

> “भारत सरकार द्वारा आर्थिक विकास को गति देने के लिए हाल में कई नीति उपाय किए गए हैं।”

वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियां :

1. श्री एस.बी. गौतम, भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के अधिकारी, ने सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनके प्रोन्नति पर 27.10.2014 से निदेशक (निरीक्षण एवं जांच) का प्रभार ग्रहण कर लिया है।
2. श्री आर.सी. मीणा, निदेशक (निरीक्षण एवं जांच), भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी, को महानिदेशक, करपोरेट कार्य के कार्यालय में दिनांक 27.10.2014 से निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है।

सीएसआर कानक्लेव - 2014 में राज्य मंत्री : श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कारपोरेट कार्य एवं वित्त राज्य मंत्री ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) और भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा संयुक्त रूप से 13.10.2014 को गुवाहाटी में आयोजित ''सीएसआर कॉन्क्लेव - 2014, सुस्थायी विकास के लिए सीएसआर का एक उपकरण के रूप में उपयोग'' को संबोधित किया। माननीय मंत्री महोदया ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व धन के उपयोग और निगरानी के लिए सामाजिक लेखांकन की अधिक भूमिका का सुझाव दिया। इस कॉन्क्लेव में कोरपोरेट क्षेत्र, स्वैच्छिक संगठनों, सीएसओ, उद्योग अग्रणियों, उद्योग संगठनों, संस्थानों और सीएसआर कार्यान्वयन एजेंसियों ने भाग लिया।

भारत सरकार प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांडों के आकर्षक प्रतिदाय : विदेशी फंडों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की 25 बिलियन डॉलर की सीमा शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पिछले चार महीनो में लाभप्रद भारतीय कारपोरेट बांडों में लगभग 11.13 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। समेकित रूप से विदेशी निवेशकों में भारतीय कारपोरेट बांडों की विदेशी खरीद पर निर्धारित 51 बिलियन डॉलर की सीमा के भीतर 30 बिलियन डॉलर की खरीद कर ली है।

लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए सीएसआर मार्गनिर्देश जारी किया : लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता पर मार्गनिर्देशों का नया सेट जारी किया है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के कारपोरेट सामाजिक दायित्व प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। इसमें केन्द्रीय लोक उद्यमों में स्थिरता पहल प्रयासों को सीएसआर के लिए व्यय किए जाने वाले 2% के साथ-साथ अपनाने की बात कही गई है और उसकी बेहतर निगरानी के लिए आंतरिक विशेषज्ञता विकसित करने की बात की गई है। इसमें सभी लाभकारी केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय करना भी अपेक्षित है। केन्द्रीय लोक उद्यमों को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है, जिसमें सभी के लिए स्वच्छ पेयजल, सभी के लिए विशेषकर लड़कियों के लिए, शौचालय, स्वास्थ एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि शामिल हैं।

एमसीए21 फाइलिंग में नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया : मंत्रालय ने अक्तूबर-नवंबर, 2014 की व्यस्ततम् अवधि के दौरान निर्बाध ई-फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। इस प्रणाली में कोई अवरोध नहीं था और अक्तूबर, 2014 के महीने में ही वार्षिक सांविधिक की कुल संख्या पंद्रह लाख का आंकड़ा पार गई। इसी अवधि के दौरान चार अवसरों पर दैनिक फाइलिंग ने एक लाख से अधिक का आंकड़ा पार किया। यह एमसीए21 प्रणाली की कार्यकुशलता दर्शाता है।

एलएलपी में ट्रस्टी की भागीदारी : इस संबंध में उठाए गए प्रश्नों के प्रत्युत्तर में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने, विधि मंत्रालय से विचार-विमर्श करके, यह स्पष्ट किया है कि ''रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट'' (आरईआईटी) या ''इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट'' (आईएनवीआईटी) या सेबी विनियमों के अधीन स्थापित ऐसे अन्य ट्रस्ट के मामले में किसी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ट्रस्ट या ट्रस्टी के लिए किसी एलएलपी में भागीदार बनने की अनुमति है। **सामान्य परिपत्र संख्या 37/2014** के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा ट्रस्टी उसके ट्रस्टी होने के विवरण को जोड़े बिना किसी एलएलपी में उसके नाम से भागीदार हो सकता है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षकों के दायित्व : धारा 143(3)(i) के संदर्भ में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में एक नया नियम 10क अंत:स्थापित किया गया है, जो 01.04.2015 से या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए पर्याप्त आंतरिक नियत्रण प्रणाली विद्यमानता और इसकी प्रचालन प्रभावकारिता के बारे में विवरण देना लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य करता है। 01.04.2014 या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा विवरण देना स्वैच्छिक है (अधिसूचना **सा.का.नि.722(अ) दिनांक 14.10.2014)।**

अलाभकारी कंपनियों में निदेशक का चयन : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के संगत) के अधीन निगमित किसी कंपनी में निदेशक पद के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अनुसार एक लाख रुपए की राशि जमा करना अपेक्षित है। किंतु, यदि वह व्यक्ति कुल वैध मतों के 25% से अधिक मत प्राप्त करने में असफल रहता है तो कानून में ऐसी राशि के उपयोग के तरीके का प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने **सामान्य परिपत्र संख्या 38/2014** तारीख 14.10.2014 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में निदेशक मंडल को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि ऐसे जमा को जब्त कर लिया जाए या उसकी पुन: अदायगी कर दी जाए।

लेखाओं का समेकन : लेखाओं के समेकन के लिए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 6 में दो अपवाद रखे गए हैं (अधिसूचना **सा.का.नि.723(अ) तारीख 14.10.2014)** पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जिसकी तत्काल मूल कंपनी भारत के बाहर निगमित कंपनी है, के अतिरिक्त, कोई मध्यस्थ पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के छूट दी गई है। ऐसी कंपनी जिसकी कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है बल्कि सहयोगी कंपनी (कंपनियां) और/या संयुक्त उपक्रम है उसे सहयोगी कंपनी (कंपनियां) और/या संयुक्त उपक्रम के संबंध में 01.04.2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले तथा 31.03.2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के समेकन से छूट दी गई है। **सामान्य परिपत्र संख्या 39/2014 तारीख 15.10.2014** द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अधीन समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में नोट तैयार करते समय कंपनी के लिए सीएफएस के संगत सभी प्रकटन करना आवश्यक होगा न कि एकल लेखा के अधीन इसके द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की पुनरावृति उपलब्ध कराना।

कॉम्पैट के सदस्यों का चयन : प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (कॉम्पैट) में रिक्तियां भरने के उद्देश्य से चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्ति के संबंध में योग्यता क्रम में तीन नामों के पैनल की अनुशंसा करना अपेक्षित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिकरण (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन का तरीका) नियम, 2008 के नियम 5 को तदनुसार प्रतिस्थापित किया गया है **(अधिसूचना सा.का.नि.728(अ) तारीख 15.10.2014)।**

कंपनी विधि निपटारा स्कीम, 2014 : कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा घोषित कंपनी विधि निपटारा स्कीम, 2014 (सीएलएसएस-2014), जिसके द्वारा वार्षिक सांविधिक दस्तावेज दायर करने में चूक करने वाली कंपनियों को अभियोजन से उन्मुक्ति देकर और कम किए हुए शुल्क द्वारा एक

अवसर प्रदान किया गया, 15.08.2014 से 15.10.2014 तक प्रचालन में था। इसे **सामान्य परिपत्र संख्या 40/2014 तारीख 15.10.2014 और 44/2014 तारीख 14.11.2014** द्वारा 31.12.2014 तक बढ़ाया गया। जिन कंपनियों ने 01.04.2014 से 15.08.2014 (सीएलएसएस के शुरू होने की तारीख) की अवधि में उनकी वार्षिक विवरणियां दर्ज कर दी थीं उन्हें उनके विवरण दायर करने में भविष्य में चूक होने पर ही निर्योग्य किया जाएगा (सामान्य **परिपत्र संख्या 41/2014 तारीख 15.10.2014)।** यह उल्लेख किया जा सकता है कि एक निदेशक जिसने किन्हीं भी लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी नहीं भरी हो तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2)(क) के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

सीएसआर की तरह ''स्वच्छ भारत कोष'' और ''निर्मल गंगा कोष'' में योगदान : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की प्रविष्ठियां (i) और (iv) का स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए ''स्वच्छ भारत कोष'' और गंगा नदी के पुनर्जीवन के लिए ''निर्मल गंगा कोष'' में किए गए योगदानों को सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया गया है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अनुसूची VII में विस्तृत गतिविधियों की सूची,खर्च जो कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व में आएगा जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत शामिल किया गया है।

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का इसके मूल के साथ विलियन : केन्द्रीय सरकार का मानना है कि जनहित में यह प्रथम दृष्ट्या आदेश करने का मामला है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के तहत नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) का इसकी नियंत्रक कंपनी अर्थात् फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (इंडिया) लिमिटेड (एफटीआईएल) के साथ विलय की जाए। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार नें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के तहत एफटीआईएल के साथ एनएसईएल के विलयन पर और उस पर दोनों कंपनियों के सभी सदस्यों और ऋणदाताओं तथा अन्य पणधारियों से मंत्रालय द्वारा विचार करने के लिए आपत्तियां, सुझाव आदि आमंत्रित करते हुए दिनांक 21.10.2014 का मसौदा आदेश जारी किया है।

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना के लिए ई प्ररूप उपलब्ध कराना : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(1) के तहत कंपनियों द्वारा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की सूचना देने के लिए (ई प्रपत्र एडीटी-1) ई फाइलिंग के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर 'कंपनी प्ररूप डाउनलोड करें' में दिनांक 20.10.2014 से प्रभावी हुआ है। प्ररूप एडीटी-1 को एक पृथक ई प्रपत्र के रूप में भरा जा रहा है, प्ररूप जीएनएल-2 के एक संलग्नक के रूप में नहीं।

एमसीए में 'स्वच्छ भारत अभियान' : ''भारत'' को जन आंदोलन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.10.2014 को शास्त्री भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्री नवेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ''स्वच्छता शपथ'' दिलाई। सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्य स्थल को साफ, स्वस्थ और खुशनुमा बनाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्न करने के लिए स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर ''स्वच्छ भारत'' पर दूरदर्शन द्वारा बनाई एक डाक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।

हिंदी पखवाड़ा : केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के तहत दिनांक 12.09.2014 से 26.09.2014 तक का पखवाड़ा ''हिंदी पखवाड़े'' के रूप में मनाया गया। श्री अरूण जेटली माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री नें भारतीय संस्कृति में हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और मंत्रालय के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिंदी में विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि निबंध लेखन, टिप्पण एवं प्रारूपण, प्रश्नोत्तर आशु-भाषण, कविता पठन आदि आयोजित की गई और इनके विजेताओं को दिनांक 17.10.2014 को सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा पुरस्कार प्रदान किए।

श्री नवेद मसूद, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण करते हुए।

निवेशक सुरक्षा और जागरूकता :

क. अक्तूबर, 2014 के दौरान तीन व्यवसायिक संस्थानों (अर्थात् भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान) के सहयोग से देश के विभिन्न कस्बों/शहरों में 203 निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

ख. अक्तूबर, 2014 के अंत तक 3226 कंपनियों ने उनके पास निवेशकों की अदत्त एवं अदावी राशि (शेयर आवेदन रूपए, लाभांश, डिबेंचर, जमा आदि) के बारे में सूचना वेबसाइट (www.iepf.gov.in) पर अपलोड की है। यह वेबसाइट कंपनियों के पिछले सात या सात से कम वर्षों की निवेशकों की अदत्त एवं अदावी राशि, जो अभी निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में हस्तांतरित होनी है, का विवरण दायर करने के लिए बनायी गई है जिससे निवेशक कंपनी से अपने कथित रूपए का फिर से दावा कर सकें। अक्तूबर, 2014 के अंत तक कंपनियों द्वारा बतायी गई कुल राशि 4115.36 करोड़ रूपए है।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा 46वें कंपनी सचिव दिवस का आयोजन : भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने देशभर में अपने 46वें स्थापना दिवस को कंपनी सचिव दिवस (सीएस दिवस) के रूप में मनाया। यह दिवस सेमिनारों, निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताओं, रक्तदान शिविरों, पेंटिंग प्रतियोगिताओं वाद-विवाद आदि का आयोजन करके मनाया गया। दिनांक 04.10.2014 को नई दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भागीदारों में बड़ी संख्या में आईसीएसआई के सदस्य, विद्यार्थी और कर्मचारी सम्मिलित थे। जनरल (सेवानिवृत) श्री वी. के. सिंह, माननीय केन्द्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, विदेश मामले और प्रवासी भारतीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार माननीय श्री न्यायमूर्ति दिलीप रावसाहेब देशमुख, सभापति, कंपनी विधि बोर्ड, डॉ अरूण चतुर्वेदी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री एम.जे. जोसेफ, अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सीएसआर श्रीधरन, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान इस अवसर पर विचार व्यक्त करने वाले उच्चाधिकारियों में शामिल थे।

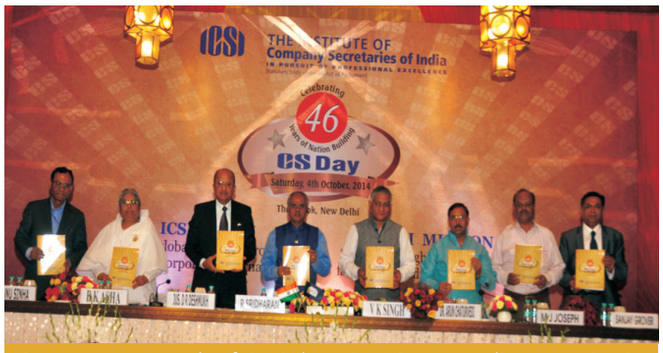

दिनांक 04.10.2014, को नई दिल्ली में भारतीय सचिव संस्थान में 46वां कंपनी सचिव दिवस समारोह।

कारपोरेट क्षेत्र की समीक्षा

क. दिनांक 31.10.2014 तक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियों की संख्या 14.27 लाख थी। इनमें से 2.61 लाख कंपनियां बंद हो चुकी है तथा 27,512 कंपनियां बंद होने की प्रक्रिया में है। 1.41 लाख कंपनियों ने लगातार तीन वर्षों से भी अधिक समय से वार्षिक विवरण/तुलन-पत्र (जैसे, वार्षिक सांविधिक फाइलिंग) दायर नहीं की है। दूसरे शब्दों में, 9.96 लाख सक्रिय कंपनियां है, जिनमे 1.22 लाख ऐसी कंपनियां शामिल है जिन्हें पूर्ववर्ती अठारह महिनों (जो वार्षिक सांविधिक फाइलिंग के लिए बकाया नहीं है) के अंदर निगमित किया गया है।

ख. अक्तूबर, 2014 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुल 4,282 कंपनियां जिसमें 165 एक व्यक्ति कंपनियां (ओपीसी) सम्मिलित है। 5,515.7 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत हुई थी। वर्ग के आधार पर हाल ही में निगमित कंपनियों का ब्रेक-अप निम्नलिखित है:

कंपनी का प्रकार	अक्टूबर, 2014 में पंजीकृत कंपनियों की संख्या	कुल प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रूपए में)
(1)	(2)	(3)
शेयर के आधार पर लि. कंपनियां	**4261**	**5515.71**
जिनमें से निजी	4173	445.87
जिनमें से एक व्यक्ति कंपनियां	*165*	*3.75*
सार्वजनिक	88	5069.84
गारंटी के आधार पर लि. कंपनियां	**20**	**0.05**
जिनमें से निजी	19	0.05
सार्वजनिक	1	0.00
अनलिमिटेड कंपनियां (निजी)	**2**	**0.05**
जिनमें से निजी	2	0.05
सार्वजनिक	0	0.00
कुल	**4283**	**5515.78**

ग. शेयर द्वारा सीमित आधार पर पंजीकृत कंपनियों के वर्ग के तहत, अधिकतम संख्या में पंजीकरण महाराष्ट्र (822) में हुआ, जिसके बाद दिल्ली (605) तथा उत्तर प्रदेश (384) का नाम आता है। आर्थिक गतिविधि के आधार पर अधिकतम संख्या में कंपनियां (1,994) बिजनेस सर्विसेज़ (सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास) के तहत पंजीकृत की गई।

घ. अक्तूबर, 2014 के दौराम पांच राज्य स्तर सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई) तथा दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) को 46.15 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत किया गया। निगमित एसएलपीई निम्नलिखित हैः1.गुजरात एस.सी सर्वाधिक पिछड़ी जाति विकास निगम, गुजरात 2. आध्रं प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम आंध्र प्रदेश 3. तेलंगाना राज्य खनिज-पदार्थ विकास निगम लिमिटेड, तेलंगाना 4. गुना नगर परिवहन सेवाएं लिमिटेड, मध्य प्रदेश तथा 5. ऋतु साधिकारा संस्था, आंध्र प्रदेश। एनबीसीसी सेवाएं लिमिटेड, दिल्ली तथा बोई मर्चेंट बैंकर लिमिटेड, महाराष्ट्र को सीपीएसयू के रूप में शामिल किया गया। कारपोरेट क्षेत्र में विकास के बारे में अधिक सांख्यकीय ब्यौरे के लिए पाठक कृपया कारपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक बुलेटिन mca.gov.in/MinistryV2/ InformationBulletin.html. देखे।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यक्रम में उपस्थितिः

- दिनांक 27.10.2014 से 01.11.2014 के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय में 'सर्तकता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया। मंत्रालय के सभी अधिकारियों तथा स्टाफ द्वारा शपथ ली गई।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय में दिनांक 31.10.2014 को ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' मनाया गया। इस अवसर पर श्री नावेद मसूद, सचिव एमसीए ने शपथ दिलाई।
- श्री एम.जे.जोसेफ, अपर सचिव, एमसीए ने दिनांक 31.10.2014 को बैंगलोर में, बैंगलोर उद्योग चेंबर एवं वाणिज्य तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के बैगलोर अध्याय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कंपनी अधिनियम, 2013 पर संगोष्ठी का उदघाटन किया तथा मुख्य भाषण दिया।
- श्रीमती शिबानी स्वेन, आर्थिक सलाहकार, एमसीए ने दिनांक 30.10.2014 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग संघ (एफआईसीसीआई) तथा कोरिया दूतावास द्वारा आयोजित चौथी भारत-कोरिया सीएसआर मंच में ''सीएसआर : स्थायी एवं सम्मिलित विकास पर नइ भागीदारी'' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- 16.10.2014 को श्री एम.जे.जोसेफ, अपर सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में एमसीए-21 (संस्करण 2) के तहत एमआईएस रिपोर्ट के विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

सीसीआई में हुए मुख्य कार्यक्रमः

1. श्री अशोक चावला, अध्यक्ष नें अक्तूबर, 20-21,2014 के दौरान टोक्यो, जापान में अतंराष्ट्रीय बार काउंसिल संघ (आईबीए) सम्मेलन एवं एशियाई एन्फोर्सस गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लिया।
2. 10.10.2014 को सीसीआई अधिकारियों के लिए आदेशों/फैसलों के पठन एवं विश्लेषण पर आधे दिन की कार्यशाला आयोजित हुई।
3. 15-16 अक्तूबर, 2014 के दौरान सीसीआई अधिकारियों के लिए आर्थिक सहकारिता संगठन के सहयोग से ''प्रतिस्पार्धा मूल्यांकन'' पर कार्यशाला आयोजित हुई।
4. दिनांक 13.10.2014 को सीसीआई में वरिष्ठ प्रापण विशेषज्ञ द्वारा 'प्रापण एवं प्रतिस्पधा विनियम' पर प्रदर्शन आयोजित हुई।

Design | Print | chandupress@gmail.com

Compiled and Published by: Research and Analysis Division, B-1 Wing, Second Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
For further details on the contents of this Newsletter, Please visit website: www.mca.gov.in